

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोवर्धन लाल पिता नाथू जाट निवासी भीमगढ़, तहसील राशमी
बनाम

लक्ष्मण लाल पित किशना पूर्बिया निवासी भीमगढ़, तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 202/2022 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार बावजूद सूचना अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	